

प्रति,

गिरिराज शर्मा,
 प्रमुख तयिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

तमस्त प्रमुख तयिव/तयिव,
 उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 लक्षक: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2005

विषय: - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में ।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12-10-2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है ।

2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो ।

3- अधिनियम की धारा 27(2) में सरकार द्वारा तिर जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्राविधान है जित हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रवृत्त है ।

4- उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (1) (बी) (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए अश्वेत कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु शरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी जितके लिए उक्त प्रमाण पत्र देना होगा। | ₹0 10-00
प्रति आवेदन पत्र। |
| 2। किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु ₹2-41 या ₹2-31 साइज पेपर पर प्रतिलिपि | ₹0 2 -00
प्रतिपृष्ठ। |
| 3। लार्ज साइज के पेपर पर प्रतिलिपि | |

4। सैम्पल अथवा माडल के लिए उनका वस्तुविक मूल्य और जहाँ सूचना छपी मूल्य से संबंधित है वहाँ निर्धारित छया मूल्य